न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण
III/निगरानी/गुना/भू.रा/2018/0480

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री विजय कुमार

द्वारा निवासी भगवती सदन, स्वामी दयानन्द

मार्ग, अलवर, जिला–अलवर (राजस्थान)

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–गुना

श्री S. K. Vajpai द्वारा आज दि. 16-1-2018 को प्रारंभिक तर्क हेतु प्रस्तुत। दिनांक 19-1-2018 नियत।
16.1.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कलेक्टर जिला–गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/स्व.निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20/11/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा -50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदन निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का आदेश अवैध, अनुचित एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि को मात्र इस आधार पर पट्टे की भूमि माना गया है कि भूमि बन्दोबस्त खसरा वर्ष–1956–57 में शासकीय भूमि थी जबकि अभिलेख में किसी व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिये जाने का प्रमाण अथवा तथाकथित पट्टे से संबंधित कोई आदेश अथवा पट्टा प्रस्तुत नहीं हुआ है और ना ही भूमि को पट्टे पर दिया जाना किसी वैध साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है।

3. यह कि, आवेदक ने विवादित भूमि विभिन्न व्यक्तियों से पृथक–पृथक विक्रय पत्रो द्वारा क्रय की है विक्रेतागण रामरतन पुत्र द्वारिका प्रसाद, फूल सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद, राजेन्द्र सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद को कोई पट्टा नहीं हुआ था विक्रेतागण ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा पूर्व भूमि स्वामीयों से भूमि क्रय आधिपत्य प्राप्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे प्रकरण मे संहिता की धारा--165 की उपधारा (7 ख) का उल्लंघन मानने में वैधानिक त्रुटि की है।

4. यह कि, आवेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा--165 के प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाहीं प्रारंभ करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख के आधार पर ऐसी कोई संतुष्टि नहीं की है कि भूमि किस वर्ष में, किस व्यक्ति को, किन अधिकारो के अंतर्गत एवं विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत शासन द्वारा दी गयी थी। इस कारण भी कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश मनमाने आदेश की परिभाषा में आता है।

5. यह कि, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–1.. के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत शासन द्वारा जो भूमि प्रदान की जाती थी उस पर ग्रहिताओ को पूर्ण भूमि

कक्ष प्रभारी (रा.मं.) 16.1.18
16-1-2018
S. K. Vajpai

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–तीन/निगरानी/गुना/भू.रा./2018/0480

श्रीमती गायत्री देवी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्र.क्र. 36/स्व.निग./2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	